राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राकेश कुमार न्योल (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः– 34/2020 अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ.

1. भुरजी पिता मोतीया जाति भील निवासी ग्राम चुडादा प.म. ठुम्मठ तहसील कुशलगढ़।
2. रमेश पिता मोतीया जाति भील निवासी ग्राम चुडादा प.म. ठुम्मठ तहसील कुशलगढ़।
3. वारजी पिता मोतीया जाति भील निवासी ग्राम चुडादा प.म. ठुम्मठ तहसील कुशलगढ़।

.....प्रार्थी

बनाम

1. रमसु पिता परथींग जाति कटारा निवासी ग्राम चुडादा प.म. ठुम्मठ तहसील कुशलगढ़।
2. कालु पिता परथींग जाति कटारा निवासी ग्राम चुडादा प.म. ठुम्मठ तहसील कुशलगढ़।
3. पर्वत पिता परथींग जाति कटारा निवासी ग्राम चुडादा प.म. ठुम्मठ तहसील कुशलगढ़।
4. रसु पिता परथींग जाति कटारा निवासी ग्राम चुडादा प.म. ठुम्मठ तहसील कुशलगढ़।
5. हडिया पिता धुलीया जाति कटारा निवासी ग्राम चुडादा प.म. ठुम्मठ तहसील कुशलगढ़।
6. सबु पत्नि रमसु जाति कटारा निवासी ग्राम चुडादा प.म. ठुम्मठ तहसील कुशलगढ़।
7. नाहटी पत्नि कालु जाति कटारा निवासी ग्राम चुडादा प.म. ठुम्मठ तहसील कुशलगढ़।
8. रमीला पत्नि रसु जाति कटारा निवासी ग्राम चुडादा प.म. ठुम्मठ तहसील कुशलगढ़।
9. मंजु पत्नि पर्वत जाति कटारा निवासी ग्राम चुडादा प.म. ठुम्मठ तहसील कुशलगढ़।

.....अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र धारा अर्न्तगत 212 रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम चुडादा पटवार हल्का ठुम्ठ तहसील कुशलगढ़ में स्थित खाता संख्या नया 177 खसरा संख्या 35, 36/1, 666/639 कुल खेत 03 रकबा 2.86 एकड़ लगान 2.82 रू वार्षिक होकर प्रार्थीगण संयुक्त रूप से काश्त करते है। प्रार्थीगण के द्वारा चौमासु फसल मक्का बोई गयी थी जो पकने पर काट ली गई तथा सियालु फसल बोने के लिये हकाई आदि का कृषि कार्य प्रार्थीगण के द्वारा इस कृषि भुमि पर किया जाता है। प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 666/639 में विगत 15 दिनो से सभी अप्रार्थीगण प्रार्थीगणों से झगडा फसाद कर रहे है व शांतिपूर्वक कृषि कार्य नहीं करने दे रहें है तथा धमकिया दे रहें है कि वे प्रार्थीगणों को खातेदारी के खेत में खेती नहीं करने देगें तथा जबरन बल पूर्वक कब्जा कर बेदखल कर देगें। प्रार्थीगण की शांतिपूर्वक काश्त एवं कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहें है। प्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार कृषक है तथा खेत प्रार्थीगण के खातेदारी एवं एकाधिपत्य में है। कृषि ही प्रार्थीगण की जीविका का साधन है तथा अप्रार्थीगण का उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि मे किसी प्रकार का हित निहित नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगणों के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत् वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया, जिसकें विचारण में समय लगेगा। जिससे प्रार्थीगण की प्रार्थना है कि अप्रार्थीगणों को जरियें अस्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक व्यादेश से तत्काल पाबंद किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक काश्त में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नही किया जावेगा।

पत्रावली दिनांक 02.11.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगणों की ओर से अधिवक्ता एस.के.भटट् ने वकालत नामा पेश किया। अप्रार्थीगणों की ओर से दिनांक 03.11.2025 को उत्तर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया

Scanned with CamScanner

है। उत्तर प्रार्थना पत्र अनुसार सर्वे नम्बर 666/639 को छोडकर वादग्रस्त भूमि वाके चुडादा की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 36/2, 37, मूल सर्वे नंबर 35,36,37 प्रार्थीगण की है। अप्रार्थीगण विपक्षीगण ने प्रार्थीगण वादीगण से कभी किसी प्रकार से कोई विवाद नहीं किया है तथा हम एक ही परिवार के सदस्य कुटुम्बी जेतीया उर्फ जेता परिवार के है। वादग्रस्त भूमि वाकें चुडादा की नौतोड भूमि श्री सरकार के खाते मूल नंबर 639 रकबा 116.25 एकड दर्ज थी, जिसमें से रकबा 3.50 प्रार्थीगण के दादाजी हकरा ने अपने नाम से सर्वे नम्बर 666/639 के रूप में छल–कपट कर तथ्यों की मिथ्या प्रकटिकरण कर कागजों में अपने नाम से आवंटन करा लिया, लेकिन उक्त भूमि पर विपक्षी अप्रार्थीगणों का अपने पूर्वजों के समय से विगत 40 वर्षों से अधिक समय से कब्जा काश्त है। उक्त भूमि पर हकरा व कालिया तथा प्रार्थीगण ने कभी भी काश्त नहीं की है नही काबिज रहें है। प्रार्थीगण के नाम से आवंटन केवल कागजी ही है। मौके पर प्रार्थीगण या हकरा का कभी कब्जा रहा ही नहीं है। वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण के आवासीय मकानात भी वर्षो पुराने बने हुये है, जिसमें अप्रार्थीगण प्रतिवादी निवास कर रहें है। जब मौके पर प्रार्थीगण या उनके पूर्वज हकरा को किसी प्रकार से किसी भी रूप में वादग्रस्त भूमि में कब्जा रहा ही नहीं है तो निषेधाज्ञा के वाद की आद में निषेधाज्ञा के अनुतोष के जरिये अप्रार्थीगण को बेदखल कराने के हकदार नहीं होकर भौतिक कब्जे के अभाव में प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण का वाद ही चलने योग्य नहीं होकर काबिल खारीज है। वाद मियाद बहार होने से आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज करने की प्रार्थना है।

दोनो पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी रोटेशन संवत् 2074–77 व अन्य दस्तावेजों के आधार पर ग्राम चुडादा पटवार हल्का ठुम्ठ तहसील कुशलगढ़ में स्थित खाता संख्या नया 177 खसरा संख्या 35, 36/1, 666/639 कुल खेत 03 रकबा 2.86 है. भूमि में प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है। प्रकरण में खातेदार स्वंय प्रार्थीगण होने से प्रथम दृष्टया सुविधा संन्तुलन व कानुन व्यवस्था की दृष्टि से प्रार्थीगण के पक्ष मे जाता है, **जिसे प्रथमतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक शांतिपूर्ण काश्त हेतु प्रार्थीगण के पक्ष मे दिया जाना न्यायोचित है।**

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगणों को शांतिपूर्ण काश्त के लिए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है, तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे प्रश्नगत भूमि में मौके पर यथास्थिति बनाये रखें तथा किसी प्रकार का अनाधिकृत हस्तक्षेप नहीं करें और न ही किसी अन्य से करावें।

यह आदेश आज दिनांक 03.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़

उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner